न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

(प्रथम लिंक अधिकारी)

2023-31RAABarmer2023-19RTA223 Vedanand Sarswati Vs Ramaram etc

वेदानन्द सरस्वती पुत्र भोमदान जाति चारण निवासी आकडली बक्शीराम, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर, हाल सचिव श्री मामडियाई गौशाला सेवा समिति, आकडली बक्शीराम, तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. रामाराम पुत्र असलाजी
2. नाराणाराम पुत्र असलाजी
3. ईमरती पत्नी असलाजी
4. चैनाराम पुत्र गोकलाजी
5. देवाराम पुत्र गोकलाराम
6. तीजो पत्नी कुम्भाराम
7. केसाराम पुत्र कुम्भाराम
8. गोदुराम पुत्र कुम्भाराम
9. रावताराम पुत्र गिरधारीजी
10. पेमाराम पुत्र टीकमाराम
11. मृतक खेताराम के कायम मुकाम
    - 11.1. आसीदेवी पत्नी खेताराम
    - 11.2. जोगाराम पुत्र खेताराम

    सभी जातियान जाट निवासीयान साजीयाली पचपदरा।
12. गोविन्दसिंह पुत्र चतरसिंह जाति राजपूत निवासी बीजेएस कोलोनी जोधपुर।
13. अविनाश पुत्र ओम प्रकाश जाति माहेश्वरी निवासी पचपदरा ।
14. भीमसिंह खारवाल के कायम मुकाम
    - 14.1. रामबाबु पुत्र भीमसिंह उर्फ अर्जुनसिंह
    - 14.2. राजेन्द्र कुमार पुत्र भीमसिंह उर्फ अर्जुनसिंह जाति खाखाल

    निवासी पचपदरा ।
15. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार पचपदरा।
16. श्रीमान शाखा प्रबंधक नेशनल बैंक पचपदरा ।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21 जून 2022 सहायक कलक्टर बालोतरा राजस्व मूल वाद संख्या 11/2020 रामाराम व अन्य बनाम राजस्थान सरकार इत्यादि

उपस्थित–

श्री सुनिल के. मेराजा, अधिवक्ता–अपीलाण्ट

श्री अचलाराम थोरी, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01 से 11/2

नि र्ण य

दिनांक : 21 जनवरी 2026

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 11/2020 अनवान रामाराम व अन्य बनाम राजस्थान सरकार इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21 जून 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 23.01.2023 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया। अपीलांट द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से बारह/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत इस आशय का वाद प्रस्तुत किया कि मौजा आकड़ली बक्शीराम पटवार हल्का आकड़ली तहसील पचपदरा के खेत खसरा नम्बर 88 रकबा 81.02 बीघा भूमि के किनारे बागुण्डी से पचपदरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित है। उक्त खसरा के राजस्व रेकर्ड नक्शा लट्ठा ट्रेस की स्थिति खतौनी से भिन्न है, क्योकि खसरा नम्बर 88 में वादपत्र के संलग्न नक्शा मार्क ए बी सी डी स्थान पर लाल पेन से उक्त नक्शे में लकीरे खीची गयीं है। उक्त लकीरे किसके आदेश से कब तथा क्यो खींची गयी, इस बाबत् कभी कोई रेकर्ड में अमल दरामद की प्रविष्टि तक नहीं हुई है। वादीगण द्वारा उक्त खींची गई रेखाओं को हटाने एवं तरमीम दुरस्ती कर सड़क के दुसरे तरफ शेष रही भूमि के तरमीम कर खसरा अंकित करने की मांग की। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर वाद को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये वादीगण/उतरदातागण का वाद स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर आलौच्य अपील प्रस्तुत की।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर अपनी बहस में तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट भूमि खसरा नंबर 141/93 व 142/93 का खातेदार काश्तकार है तथा उक्त भूमि, राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आलोच्य निर्णय के संबंध में निर्णित वाद पत्र में अपीलाण्ट को वादीगण (उतरदाता संख्या 1 से 12) द्वारा पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं कर दुरभि–संधि के द्वारा छुपे तौर पर वाद पेश कर निर्णित करवाया है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से अपीलाण्ट के हित प्रभावित हो रहे है। उत्तरदातागण द्वारा अपीलाण्ट को एवं राष्ट्रीय राजमार्ग को पक्षकार बनाये बिना ही राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़क की तरमीम दुरस्ती करवाकर अपीलाण्ट को अपने पुराने कब्जे से हटाने पर आमादा है, जिससे अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में वाद में पक्षकार न होते हुए भी हितबृद्ध होने से अपील पेश करने का अधिकार है एवं प्राकृतिक न्याय के

जिला अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सिद्धान्तों के तहत् प्रत्येक व्यक्ति को सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में आलोच्य निर्णय व डिक्री पर्चा दिनांक 21.06.2022 को निरस्त करवाने हेतु प्रार्थी को राजस्व अपील प्रस्तुत करवाने हेतु तृतीय पक्ष होते हुए अपील प्रस्तुत करने की अनुमति न्यायहित जारी की जानी आवश्यक हैं। यदि प्रार्थी/अपीलाण्ट ने आलोच्य निर्णय व डिक्री पर्चा को चुनौति नहीं दी तो आलोच्य निर्णय व डिक्री पर्चा अंतिमता प्राप्त कर लेगे एवं प्रार्थीगण को अपने हक हिस्से व विधिक अधिकारों से अकारण वंचित होना पड़ेगा। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि उतरदातागण द्वारा द्वारा अपीलांट को पक्षकार संयोजित किये बिना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करवाये जाने से अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की समय पर जानकारी नहीं हो सकी। वर्तमान में उत्तरदाता सं 1 से 12 द्वारा वादग्रस्त आराजी पर मौके पर आकर अपीलाण्ट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने लगे, क्योंकि राजस्व रेकर्ड अनुसार मुख्य सड़क के दक्षिण में अपीलाण्ट के स्वामित्व की भूमि है, जिस पर अपीलाण्ट द्वारा श्री मामड़ियाई गौशाला सेवा समिति आकड़ली बक्सीराम के नाम से गोशाला संचालित करता आ रहा है एवं उक्त गोशाला पिछले 20–25 वर्षों से मौके पर कायम है। जिस पर गौशाला की दीवार तारबंदी पशुओं के लिए पानी की खेली, खादय खेली एवं छावा हेतु टीनशेड एवं चारागाह आदि बने हुए है। उतरदाता संख्या 1 से 12 मौके पर आकर अपीलांट को तंग करने लगे एवं बेदखल करने का प्रयास करने लगे एवं अपीलांट का आलोच्य निर्णय व डिक्री पर्चा पारित होना बताया, जिस पर अपीलाण्ट ने आलोच्य निर्णय व डिक्री पर्चा की जानकारी होने पर अपीलाण्ट ने आलोच्य निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रमाणित प्रति हेतु दिनांक 18.01.2023 को आवेदन दिया एवं नकल प्राप्त की। नकल प्राप्त होने पर अपीलाण्ट ने सम्यक सतर्कता एवं सद्भावना से यह अपील जानकारी से अंदर म्याद प्रस्तुत की है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को माफी प्रदान करते हुए अपील को अन्दर शुमार करने के आदेश प्रदान करावें।

गुणावगुण पर अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री मौके पर काबिज खातेदारों को पक्षकार बनाये बिना ही एकतरफा एवं पक्षकारों का कुसंयोजन करते हुए वादी एवं प्रतिवादीगण की आपसी सांठ–गांठ कर के आधार पर भौतिक कब्जे काश्त को अनदेखा करते हुए विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया है। उतरदातागण द्वारा अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 88 के स्थान पर सड़क की तरमीम दुरूस्ती करने का अनुतोष चाहा गया था एवं उक्त प्रकरण में जिस सडक को अन्तरित करना चाहा है वो सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 है एवं उतरदाता से 1 से 12 ने राष्ट्रीय राजमार्ग

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजामार्ग प्राधिकरण को पक्षकार के रूप में सयोजित नहीं किया है एवं बिना पक्षकार बनाए ही उतरदाता प्रतिवादी सं 2 व 3 के रूप में केवल अविनाश व भीमसिंह को गलत रूप से पक्षकार के रूप में संयोजित कर वाद पेश किया है जो पक्षकारान के असयोजन के आधार पर खारिज योग्य है। वादीगण (उतरदाता सं 1 से 12) ने मिलकर राष्ट्रीय राजमार्ग सं 25 मौजा आकडली बक्शीराम गांव में अवस्थित श्री मामडियाई गोशाला सेवा समिति आकडली, जिसका संचालन वेदानन्द सरस्वती द्वारा किया जाकर मौके पर भारी संख्या में गौमाता का रक्षण, संरक्षण आदि किया जाकर गौ–सेवा की जा रहीं है। उक्त गोशाला की भूमि खसरा नम्बर 142/93 व 141/93 व खसरा नम्बर 140/99 में भव्य गौशाला संचालित की जा रही है। खसरा नम्बर 142/93 के उत्तर में इसी खसरे की भूमि नियमानुसार अवाप्त कर राष्ट्रीय राजमार्ग–25 बनाया गया था, जिसके दक्षिण में गोशाला अवस्थित है। उक्त गोशाला की राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित बेशकिमती भूमि को हडप करने के दुराश्य से प्रेरित होकर ही वादी (उतरदाता सं 1 से 11) ने गलत पक्षकारान संयोजित करते हुए एवं उतरदाता सं 2 व 3 से सांठ–गांठ कर उक्त वाद में राजीनामा पेश करवाया है, जबकि स्वयं प्रतिवादी भीमसिंह के वारिशान रामबाबु व राजेन्द्र कुमार सहित उनकी माता दाखूदेवी मिलकर ने खसरा नम्बर 543/88 व 88 में अपनी खातेदारी की भूमि अपीलाण्ट को जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा के दिनांक 13.09.2021 को बेचान कर दी थी एवं उक्त तथ्यों से स्वंय प्रतिवादी उतरदता संख्या 14 पूर्वतः अवगत थे। इसके उपरान्त भी उतरदाता सं 1 से 12 के पक्ष व प्रभाव में रहकर दिनांक 20.05.2022 को राजीनामा के आधार पर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया है। यह उल्लेखनीय है कि उतरदाता (प्रतिवादी सं 2 व 3) ने विवादित भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 13.09.2021 को उपपंजीयक बाडमेर जसोल में उपस्थित होकर रजिस्टर्ड बेचान कर दिया तथा अपीलाण्ट को सड़क पर काबिज करवा दिया। फिर उतरदातागण/वादी एवं उत्तरदाता/प्रतिवादी संख्या 2 से 3 ने आपसी सांठ गांठ कर दुर्भि सन्धि करते हुए विवादित भूमि का बेचान करने के उपरान्त भी राजीनामा निष्पादित किया गया है। उतरदाता से 14.1 व 14.2 का वादग्रस्त आराजी में कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहा था और वे राजीनामा पेश करने का अधिकार नहीं रखते थे, किन्तु इसके पश्चात भी उत्तरदातागण ने अपीलाण्ट से छुपे तौर पर न्यायालय में वाद पेश किया एवं अधीनस्थ न्यायालय ने उत्तरदातागण के पक्ष एवं प्रभाव में रहते हुए उक्त दस्तावेजी साक्ष्यों एवं राजस्व रिकोर्ड के अनुसार कायम मौके की अनदेखी कर आलौच्य निर्णय एव डिक्री पार्ट पारित किया जो विधि, नियमों एवं पत्रावली पर आये तथ्यों एवं भौतिक स्थिति को विपति है एवं अपास्त किये जाने योग्य है। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट व परिशिष्ठ "अ" दिनांक 20.05.2022 राजस्व रिर्कोड के अनुसार तैयार नहीं की किया गया है। मौके पर मूल खसरा नम्बर 88 व 93 का कई वर्षो पूर्व नये खसरे कायम हो चुके थे, जिसके नये खातेदार है, जिन्हे पक्षकार बनाना आवश्यक था। साथ ही मौके की रिपोर्ट व परिशिष्ठ अ भी राजस्व रिकॉड अनुसार तैयार की जानी थीं जो नहीं की गई है, क्योकि राजस्व रिकॉड मे खसरा नम्बर 88 व 93 दर्ज ही नहीं है। इनके

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

स्थान पर खसरा नम्बर 542/88, 543/88, 88/97, 444/93, 142/93, 141/93, 140/90, 448/93, 143/93, 257/93 आदि सर्जित है, जिसका कोई हवाला परिशिष्ठ अ में नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्व अधिकारियों ने मात्र वादीगण/उतरदाता सं 1 से 12 के पक्ष एवं प्रभाव में रहकर गलत रिपोर्ट पेश की है एवं परिशिष्ठ अ भी राजस्व खसरो के अनुरूप नहीं है, जिससे आलोच्य निर्णय व डिक्री पर्चा विधि अनुसार नहीं होकर नियम एवं मौके के विपरित होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 11/2020 अनवान रामाराम व अन्य बनाम राजस्थान सरकार इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21 जून 2022 को अपास्त किया जावे।

जवाब में उतरदातागण संख्या एक से बारह के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 88 की बिना किसी सक्षम आदेश से तरमीम अंकित की गई है। उतरदातागण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर उक्त तरमीम दुरूस्ती का अनुतोष चाहा गया है जो विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार से तलब रिपोर्ट के आधार पर उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। रेस्पोडेंटगण ने किसी प्रकार की कोई दुरभीसंधि नहीं की और न ही कोई दुरभीसंधि के माध्यम से निर्णय ही करवाया है। वर्तमान अपील से संबंधित मूल वाद क्रमांक 11/2020 दिनांक 03.02.2020 से विचाराधीन था, जिस रोज जमाबंदी में जितने खातेदार थे, उनको पक्षकार बनाकर प्रकरण पेश किया गया था। उस रोज वर्तमान प्रकरण का अपीलांट पक्षकार नही था, इसलिये उसे वाद में पक्षकार बनाना कतई रूप से आवश्यक नहीं था। विधि के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा वादपत्र के विचारधीन रहते यदि किसी सम्पति को न्यायालय की बिना अनुज्ञा के बिना खरीद की जाती है तो उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। मूल पक्षकार जो विधिक कार्यवाही में पक्षकार है, उसी के पदस्थापन पर ऐसा खरीददार पदस्थापित होगा। उक्त तथ्यों की पूर्ण जानकारी वर्तमान प्रकरण के अपीलांट को रही है कि जिस रोज यानि दिनांक 03.02.2020 को वादपत्र प्रस्तुत किया, उस रोज अपीलांट उक्त भूमि में खातेदार नहीं था इस कारण उसे अपील करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त वर्तमान अपील प्रकरण से संबंधित मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय में मूल खसरा संख्या 88 मौजा अकड़ली के संबंध में था, खसरा सख्या 88 से वर्तमान अपीलांट का कोई सरोकार नहीं रहा है। यह उल्लेखनीय है कि जोधपुर से बाड़मेर जानी वाली मुख्य सड़क जो वर्तमान में नेशनल हाईवे है, वह खसरा संख्या 88 की परिधि में बना, किन्तु राजस्व अभिलेख नक्शा में खसरा संख्या 88 के किस भाग पर उक्त सड़क अवस्थित है, उसका कोई अंकन रेकर्ड में नहीं था, वास्तव में खसरा संख्या 88 की भूमि में मौके पर भौतिक रूप से सड़क का निर्माण हो जाने से खसरा संख्या 88 के तीन भाग हुए है। खसरा संख्या 88 का एक भाग मौके पर चल रही सड़क के बदिशा उत्तर में था, जिसका क्षेत्रफल 54 बीघा तथा एक भाग सड़क के रूप में उपयोग हुआ, जिसका

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रकबा 8.01 बीघा है तथा तीसरा भाग सड़क के बदिशा दक्षिण में रहा जिसका रकबा 19.01 बीघा है। इस प्रकार तीन भाग मौके पर उक्त भूमि के थे, किन्तु राजस्व अभिलेख में ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, इस कारण इसकी दुरूस्ती बाबत स्टेच्युरिटी नोटिस दिया गया, जिसकी पालना में कोई कार्यवाही नहीं हुई, तब वर्तमान प्रकरण के रेस्पोडेंटगण ने रेकर्ड में दुरूस्ती करने हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया। वादपत्र के विचाराधीन रहते मौके की एवं रेकर्ड की सही वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तहसीलदार, हल्का पटवारी, आर.आई से तलब की गयी, जिनके द्वारा मौके पर आकर उक्त भूमि के रेकर्ड एवं मौके की रिपोर्ट तैयार की। जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया खसरा संख्या मूल 88 रेकर्ड में दर्ज है, किन्तु उक्त खसरा संख्या 88 के मध्य से सड़क गुजर रही है, जिसकी कोई तरमीम नहीं है। सड़क उक्त खसरे के मध्य से निर्मित होने से उक्त खसरे को विभक्त कर दिया है, जिसका विवरण रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट अ अनुसार है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादी का वाद स्वीकार कर रेकर्ड में जो त्रुटि थी, उसकी दुरुस्ती की गयी है, जिससे अपीलांट के कोई अधिकार प्रभावित नहीं हुए, क्योंकि अपीलांट दिनांक 03.02.2020 तक उक्त भूमि का खातेदार ही नही था। अपीलांट गलत तथ्य बताकर विवाद उत्पन्न करना चाहता है कि उक्त जो सड़क चल रही है वो अपीलांट के तथाकथित खसरा संख्या 93 के तरमीमी खसरा के जुड़ती चल रही है, जिसे गलत तौर से खसरा संख्या 88 में बताया गया है, वास्तव में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। अपीलाट जो अपने आप को गोशाला का संचालक होना तथा गोशाला में गायों की सेवा करने वाला होने का ढ़ोंग कर रहा है, वास्तव में वास्तविक स्थिति इसके विपरित है। गायों एवं गोशाला का नाम लेकर उनकी आड़ में रेस्पोडेंट के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 88 पर अतिचार स्वरूप अतिक्रमण कर ऐसे अतिक्रमण को पुख्ता करने एवं विवाद खड़ा करने के लिये खसरा संख्या 93 की भूमि सड़क पर होने का उल्लेख किया है। वास्तव में व्यक्ति झूठ बोल सकता है, परिस्थितियां कभी झूठ नहीं बोल सकती, आज रोज भी राजस्व अभिलेख एवं गुगल नक्शा से मिलान करने पर भी जो मुख्य हाईवे मौके पर चल रहा है वो खसरा संख्या 93 या उसके तरमीमी खसरा से किसी भी रूप से नहीं लगता है। जबकि वर्तमान प्रकरण का अपीलांट अपनी जिद्द पर अड़कर यह विवाद कर रहा है कि उक्त भूमि खसरा संख्या 88 की उक्त सड़क के बदिशा उत्तर में ही सम्पूर्ण रकबा है। वास्तव में ऐसा नहीं है। उक्त भूमि के तीन भाग है जिनके वर्तमान रेकर्ड में खसरा संख्या 542/88, 543/88 जो मौके पर खेती के रूप में उपयोग हो रही है तथा खसरा संख्या 544/88 जो मौके पर चल रही सड़क के रूप में उपयोग हो रही है। उक्त तथ्य अद्यतन जमाबंदी नक्शा से ही स्पष्ट है। इस प्रकार वर्तमान प्रकरण के अपीलांट को कोई अपील पेश करने की लॉकस्टेंडी नहीं है। इसके अलावा वर्तमान प्रकरण के अपीलांट ने इसी भूमि खसरा संख्या 542/88, 543/88, 544/88 में कुल रकबा 2 बीघा 16 बिस्वान्सी भूमि का खातेदार होना बताकर बंटवाड़े का वाद सहायक कलेक्टर बालोतरा में वाद सख्या 16/2023 पेश किया है जो विचाराधीन है। वर्तमान प्रकरण का अपीलांट खातेदार तो मात्र 2 बीघा 16 बिस्वान्सी का है और मौके पर उसकी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

आड़ में रकबा 20.00 बीघा से अधिक भूमि पर कब्जा अतिक्रमण के स्वरूप रखना चाहता है, जिसकी विधि के अन्तर्गत मुमानियत है और मौके पर विवाद रहे, इसलिये वर्तमान अपील पेश की है। अपीलांट के कोई विधिक हक इस भूमि में निहित नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अनुमति बाधित, म्याद बाधित एवं गुणावगुण पर सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का निस्तारण किया जाना उचित समझते है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट भूमि खसरा नंबर 141/93 रकबा 8.0937 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 142/93 रकबा 4.8562 का रेकर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध आंशिक नक्शा किश्तवार मौजा आकड़ली बक्सीराम तहसील पचपदरा पी–35 क्रमांक 4014 दिनांक 20.01.2023 के मुताबिक अपीलार्थी की भूमि खसरा नंबर 141/93 एवं 142/93 की हदूद/उतरी दिशा में सड़क दर्शायी हुई है। रेस्पोडेंट्स द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये अपीलांट की खातेदारी की भूमि की उतरी दिशा में अवस्थित सड़क की अवस्थिति को परिवर्तित किया गया है, जिससे अपीलांट अधिकार प्रभावित हुए है। ऐसी स्थिति में अपीलांट अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से व्यथित पक्षकार पाये जाने से वह हस्तगत अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी ठहरता है। लिहाजा न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है एवं अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

जहां तक अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का प्रश्न है, विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को पक्षकार संयोजित किये बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने से उसे अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की समय पर जानकारी नहीं होना लाजमी है। लिहाजा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार की जाती है।

मामले के गुणावगुण पर अवलोकन मुताबिक वादीगण/उतरदाता संख्या एक से 12 द्वारा वादपत्र के साथ परिशिष्ट अ प्रस्तुत कर माफिक परिशिष्ट अ रेकर्ड दुरूस्ती का अनुतोष चाहा गया है। परिशिष्ट अ में मार्क बिंदु ए.बी.सी.डी. में दर्शित भूमि को सड़क की भूमि बतायी गई है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट दिनांक 30.05.2022 के मुताबिक तहसीलदार पचपदरा द्वारा नक्शा ट्रेस में हुई तरमीम बाबत पूर्व में पारित किसी आदेश के संबंध में तथ्य स्पष्ट न करते हुए केवल खसरा नंबर 88 में चलायमान सड़क की अवस्थिति में भिन्नता बतायी गई है। यह उल्लेखनीय है कि खसरा नंबर 88 में चलायमान सड़क की वर्तमान तरमीम को उक्त मौका रिपोर्ट अनुसार दुरूस्त किया जाता है तो खसरा नंबर 88 से आगे स्थित अन्य खसरान् यथा– खसरा नंबर 90, 93 में की गई सड़क की तरमीम बेमेल हो जायेगी तथा राजस्व रेकर्ड में सड़की निरंतरता भी खत्म हो जायेगी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

विचारण न्यायालय द्वारा अस्पष्ट मौका रिपोर्ट एवं वाद में संयोजित उभय पक्षकारान् की ओर से प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर संपूर्ण स्थिति को रेकर्ड पर लिये बिना तथा अपीलांट को पक्षकार संयोजित किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किये जाने पाये जाते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधि विरूद्ध पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व मूल वाद सख्या 11/2020 अनवान रामाराम व अन्य बनाम राजस्थान सरकार इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21 जून 2022 खारिज किये जाकर जाकर वादग्रस्त आराजीयात की पूर्व स्थिति बहाल किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट को मामले में पक्षकार संयोजित करते हुए राजस्व रेकर्ड की समग्र वस्तुस्थिति रेकर्ड पर लेते हुए उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत मूल वाद का पुनः गुणावगुण पर विधिसम्मत निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
राजस्व अपील अधिकारी, बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर